श्री
द्वारा आज दि. 16.6.16 को
प्रस्तुत

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निग — 1926 — PBR-16

माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर, (म.प्र.)

शान्ताबाई पति स्व. श्री बाबूलालजी सेठिया,
(जैन), आयु 60 वर्ष, व्यवसाय नौकरी,
निवासी लोहार मोहल्ला, कुकड़ेश्वर,
तहसील मनासा, जिला नीमच, हाल मुकाम
धीरजशाहनगर, रतलाम, (म.प्र.) **... प्रार्थिया**
(आपत्तिकर्ता/आवेदक)

वि रु द्ध

01. कु. रीना पिता बाबूलालजी सेठिया,
02. कु. सोनम पिता बाबूलाल जी सेठिया,
03. गुड्डुकुमार पिता फतेहलालजी सेठिया,
सभी निवासी जूना बाजार, नीमच सिटी
तहसील व जिला नीमच, (म.प्र.)
(आवेदकगण)
04. मधुदेवी पति बाबूलाल जी जैन,
05. रौनक पिता बाबूलाल जी जैन,
निवासी जूना बाजार, नीमच सिटी,
तहसील व जिला नीमच, (म.प्र.)
(अनावेदकगण) **... प्रतिप्रार्थीगण**

निगरानी बनाराजगी, न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय, मल्हारगढ़, जिला मंदसौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 50/अ–6/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 16.05.2016 जिसके आधार पर विवादित भूमि के संबंध में सिविल न्यायालय में चल रहे प्रकरण के निराकरण तक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चल रहे नामांतरण प्रकरण की अग्रिम कार्यवाही को स्थगित किये जाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त किया गया।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1926–पीबीआर/16 जिला रतलाम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–7–2016	आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 16–5–15 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को इस शर्त के साथ अभिलेख पर लिये जाने के आदेश दिये गये हैं कि आपत्तिकर्ता यदि अपने साक्ष्य में इन्हें प्रदर्शित करवाना चाहती है तो छायाप्रति के बजाय मूल प्रति प्रस्तुत करना होंगे, साथ ही अनावेदकगण पक्ष समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहते हैं तो खण्डन में दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं । तहसील न्यायालय द्वारा की गई उपरोक्त कार्यवाही पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही है, अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	